राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः—प.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट—IV जयपुर, दिनांकः— 01 JUL 2025

स्पष्टीकरण

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.12.2024 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Peon) एवं अन्य पद यथा— Laboratory Servant, Cycle Sawar, Orderly, Waterman, Chowkidar, Farrash, Sweeper and Equivalent posts sanctioned for office work के पदों के पे—लेवल दिनांक 01.09.2024 से एल—1 से उच्चीकृत कर एल—2 संशोधित किये गये हैं। वित्त विभाग के यह ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा उक्त पदों के अतिरिक्त Ward boy/Ward Maid/helper/Dhobi/Rasoiya etc. का पे—लेवल भी एल—2 संशोधित करते हुये एमएसीपी की योजना के अन्तर्गत देय पे—लेवल भी दिनांक 01.09.2024 या इसके पश्चात उनके देय होने की दिनांक से संशोधित कर दिये गए हैं, जो नियमानुसार नहीं है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.12.2024 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Peon) एवं अन्य पद यथा— Laboratory Servant, Cycle Sawar, Orderly, Waterman, Chowkidar, Farrash, Sweeper and Equivalent posts sanctioned for office work के पदों का पे—लेवल एल—1 को उच्चीकृत कर एल—2 किया गया है अन्य पदों यथा— Ward boy/Ward Maid/helper/Dhobi/Rasoiya etc. जिनके पे—लेवल इन नियमों के अन्तर्गत एल—1 में निर्धारित हैं, इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.12.2024 में उपरोक्त उल्लेखित पदों के अतिरिक्त यदि अन्य पदों के पे—लेवल भी संशोधित कर वेतन निर्धारण किये गए हैं तो ऐसे वेतन निर्धारण आदेशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित किया जावे तथा नियम विरूद्ध किये गए अधिक भुगतान की वसूली की जावे।

(नवीन जैन)
शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेशंनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप—7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव—।

(RCS(RP)2017 – 04 /2025)